संख्या: 02 /2019/ 07 बीपी/35-1-2019

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2019**

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में दुग्ध विकास विभाग की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में दुग्ध विकास विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित परियोजनाओं की रू. 107.01 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 28.96 करोड़ (रूपये अट्ठाइस करोड़ छियान्वे लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त कार्यों हेतु दुग्ध विकास विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(रू. करोड़ में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	दुग्ध समितियों का सुदृढ़ीकरण	3.85	2.49
1.1	दुग्ध समितियों का गठन	2.83	1.47
1.2	दुग्ध समितियों का पुनर्गठन	1.02	1.02
2	जनपद बांदा में 01 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की दुग्धशाला का निर्माण	103.16	26.47
	योग	107.01	28.96

1. **कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।**

2. **कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमावधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. प्रश्नगत परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4. प्रशासकीय विभाग द्वारा समय समय पर कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

6. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई इस धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा अवमुक्त की गई सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता-प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि का व्यय नीति आयोग, भारत सरकार के पत्र सं.एफ नं. क्यू 11022/08/2015-एग्री.एफटीएस 2838 दिनांक 30 मई, 2018 द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यों एवं उसके साथ लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन माइलस्टोन्स/टाइम लाइन्स सहित विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए किया जायेगा।

8. उपरोक्त परियोजनाओं हेतु उपलब्ध हुई धनराशि एवं कार्य योजना की फॉट तैयार कर तत्काल सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी को उनके स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

9. स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

10. प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त आय व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 एवं 15 जून, 2018 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

11. प्रशासकीय विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

12. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रत्येक कार्य स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए उसका विस्तृत आगणन तैयार कराते हुए सक्षम स्तर की स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

14. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत/उपलब्ध हुई है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना/शर्तों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

15. कार्य स्थल पर इन्हें बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका / बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेगें।

16. कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो।

17. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-10 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जायेगी।

18. प्रशासनिक विभाग द्वारा नियमानुसार लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

19. परियोजना में रखे गये लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दुग्ध विकास विभाग पूर्णत: उत्तरदायी होगा तथा कार्यों से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख रखाव की समुचित व्यवस्था दुग्ध विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2019 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

21. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व दुग्ध विकास विभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अंतर्गत सुसंगत मदो के नामे डाला जायेगा। उक्त लेखाशीर्ष में राजस्व पक्ष के अंतर्गत धनराशि अनुदान सं. 40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष: 2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -02- पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय -03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -42- अन्य व्यय की मद में उपलब्ध बचतों से आदेश संख्या: यूओ 01(1) बीके/35-1-2019 दिनांक 23 जनवरी, 2019 तथा पूंजीगत पक्ष के अंतर्गत धनराशि अनुदान सं. 40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष: 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -02- पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय -03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -42- अन्य व्यय की मद में उपलब्ध बचतों से आदेश संख्या: यूओ 01 बीके/35-1-2019 दिनांक 23 जनवरी, 2019 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं. ई-5-89(11)/दस-2019 दिनांक 17 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आर.एन.एस. यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 02 /2019/ 07 बीपी (1) /35-1-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट/ललितपुर।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आर. एन. एस. यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 02 /2019/ 07 बीपी(1)/ 35-1-2019 दिनांक 23 जनवरी, 2019 का संलग्नक

	मद	अवमुक्त धनराशि (रू. करोड में)	लेखाशीर्ष
1	दुग्ध समितियों का सुदृढ़ीकरण	2.49	2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम- 02- पिछड़े क्षेत्र- 800- अन्य व्यय- 04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें- 02- दुग्ध समितियों का सुदृढ़ीकरण (के.100/ रा.0 के.) - 42- अन्य व्यय
2	जनपद बांदा में 01 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की दुग्धशाला का निर्माण	26.47	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम- 02- पिछड़े क्षेत्र- 800- अन्य व्यय- 04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-13- जनपद बांदा में दुग्धशाला का निर्माण (के.100/ रा.0 के.) -24- वृहत् निर्माण कार्य
	योग:	28.96	(रूपये अट्ठाइस करोड़ छियान्वे लाख मात्र)

आर. एन. एस. यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**